



न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट)/

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-04, फर्रुखाबाद।

उपस्थित:- दीपेन्द्र कुमार सिंह-I.....एच०जे०एस० J.O.Code-U.P.2720

सत्र वाद संख्या-264/2026

राज्य बनाम स्वदेश।

मुकदमा अपराध संख्या-69/2023

धारा-135 (1)(a) भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003

थाना-मेरापुर

जनपद-फर्रुखाबाद।

दिनांक: 17-06-2026

पत्रावली पेश हुई। प्रस्तुत प्रकरण में उपभोक्ता/अभियुक्त स्वदेश उर्फ सुदेश द्वारा उपरोक्त मुकदमे में निर्धारण शुल्क व शमन शुल्क जमा कर दिया है, अब कोई धनराशि शेष नहीं है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा, उसके विरुद्ध इस मामले के संबंध में निर्धारित प्रशमन राशि की अदायगी विद्युत निगम को कर दी गयी है, जिसकी पुष्टि निगम द्वारा निर्गत अदेयता प्रमाण पत्र, पत्रांक 2067/वि०वि०ख०(फ)/दिनांक 30.03.2026 से हो रही है, जिससे स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 24.12.2025 को प्रशमन शुल्क अदा कर दिया गया है, जिसके उपरान्त मामले में अभियुक्त के विरुद्ध प्रसंज्ञान लिया गया है जो कि पूर्णतया अविधिक है। इस स्तर पर अभियुक्त को जमानत कराना न्यायोचित नहीं है। अतः अभियुक्त को जमानत करना आवश्यक नहीं है।

भारतीय विद्युत अधिनियम 2003, (अधिनियम संख्यांक 36) की धारा-152 की उपधारा (2) ऐसी दशा में अर्थात् (अभियुक्त द्वारा प्रशमन धनराशि डिपोजिट कर दिये जाने पर), अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग का प्रशमन किये जाने का प्रावधान करती है।

धारा 152 (2) इस प्रकार है कि- उपधारा (1) के अनुसार धनराशि का संदाय कर दिये जाने पर उस अपराध के सम्बन्ध में अभिरक्षा में रह रहे व्यक्ति को निर्मुक्त कर दिया जाएगा और ऐसे उपभोक्ता या व्यक्ति के विरुद्ध किसी दण्डिक न्यायालय में कोई कार्यवाहियां संस्थित नहीं की जायेगी या जारी नहीं रखी जाएगी।

इस भाँति, अभियुक्त के विरुद्ध संस्थित मामले का प्रशमन हो जाता है। अर्थात् विशेष न्यायालय के समक्ष लम्बित कार्यवाही का, अभियुक्त के विरुद्ध प्रशमन हो जाने के कारण समाप्त की जाती है।

आदेश

प्रस्तुत प्रकरण की कार्यवाही प्रशमन के आधार पर समाप्त की जाती है। पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार भेजी जाये।

(दीपेन्द्र कुमार सिंह-I)

विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट)/

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश

कक्ष संख्या-04, फर्रुखाबाद।